

RBI की मौद्रिक नीति समिति की 51 वीं बैठक

प्रारंभिक परीक्षा के लिये:

मौद्रिक नीति समिति, भारतीय रिज़र्व बैंक, रेपो रेट, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, UPI123PAY, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ (NBFC), माइक्रोफाइनेंस संस्थान (MFI), हाउसिंग फाइनेंस कंपनियाँ (HFC), नकिषेप बीमा और परत्यय गारंटी नगिम, भारतीय परतभित और वनियमि बोरड (SEBI), बीमा वनियमिक और वकिस प्ररधकिरण ।

मुख्य परीक्षा के लिये:

मौद्रिक नीति समिति के नरिणय, NBFC से संबंथति मुददे

[सरोत: बज़िनेस स्टैण्डर्ड](#)

चर्चा में क्यों?

हाल ही में RBI गवरनर की अध्यक्षता में भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) की मौद्रिक नीति समिति (MPC) की 51वीं बैठक संपन्न हुई।

मौद्रिक नीति समिति (MPC) की 51वीं बैठक में लिये गए प्रमुख नरिणय क्या हैं?

- रेपो रेट का अपरविरतति रहना: मौद्रिक नीति समिति (MPC) ने लगातार 10 वीं बार रेपो रेट को 6.5% पर अपरविरतति रखने का नरिणय लया ।
- मौद्रिक नीति दृष्टिकोण में परविरतन: MPC ने नीतगित रुख को 'वदिडरल ऑफ एकोमोडेशन' से बदलकर 'न्यूट्रल' कर दया ।
 - न्यूट्रल दृष्टिकोण से MPC को आवश्यकतानुसार मौद्रिक नीति को समायोजति करने के लयिअधकि लचीलापन मलिता है जबकि "वदिडरल ऑफ एकोमोडेशन" का अर्थ परतबिंधातमक मौद्रिक नीति से है, जसिमें RBI का लक्ष्य अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति को कम करना (मुद्रास्फीति दबावों पर अंकुश लगाना) होता है ।
 - जब RBI द्वारा रथियतें वापस ली जाती हैं तो यह संकेत मलिता है कि वह कम बयाज दरों के माध्यम से आर्थिक वकिस को समर्थन देने के लयि कम इच्छुक है तथा इसके बजाय वह कीमतों को स्थरि करने पर केंदरति है ।
- मुद्रास्फीति लक्ष्य: RBI ने वतित वरष 2025 के लयि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) मुद्रास्फीति पूरवानुमान को 4.5% पर बनाए रखा है ।
 - आर्थिक वकिस को समर्थन देने के लयि अस्थायी वचिलन की अनुमति देते हुए 4% (±2%) के लक्ष्य के साथ मुद्रास्फीति को नयित्तरति करने के लयि वरष 2015 में लचीला मुद्रास्फीति लक्ष्य (FIT) रखा गया था ।
- वास्तविक GDP संवृद्धि अनुमान: RBI ने वतित वरष 2025 के लयि वास्तविक GDP संवृद्धि अनुमान को 7.2% पर बनाए रखा है । नजी उपभोग और नविश मांग से प्रेरति भारत की स्थति भज़्बूत बनी हुई है ।
 - UPI123PAY की लेन-देन सीमा में वृद्धि: RBI ने UPI123PAY की प्रति लेन-देन सीमा 5,000 रुपए से बढ़ाकर 10,000 रुपए कर दी है ।
 - RBI ने UPI लाइट की प्रति लेन-देन सीमा को 500 रुपए से बढ़ाकर 1,000 रुपए करने की घोषणा की है । RBI ने UPI लाइट वॉलेट की सीमा भी वर्तमान 2,000 रुपए से बढ़ाकर 5,000 रुपए कर दी है ।
 - UPI123PAY मुख्य रूप से गैर-स्मार्ट फोन/फीचर फोन उपयोगकर्त्ताओं के लयि उपलब्ध भुगतान प्रणाली है जसिके द्वारा ये इंटरनेट कनेक्टविटि के बनिा UPI का उपयोग करके भुगतान कर सकते हैं ।
- रिज़र्व बैंक-क्लाइमेट रसिक इनफॉर्मेशन ससि्टम (RB-CRIS): RBI ने क्लाइमेट संबंधी आँकड़ों के बीच अंतर को समाप्त करने के लयि RB-CRIS नामक एक डेटा भंडार के नरिमाण का प्रस्ताव दया है, जो वर्तमान में खंडति रूप में उपलब्ध है ।
 - इससे वतितय संस्थाओं और वतितय प्रणाली की बैलेंस शीट की स्थरिता सुनश्चिति करने के लयि क्लाइमेट रसिक का आकलन हो सकेगा । यह दो भागों में होगा ।
 - पहला भाग एक वेब-आधारति नरिदेशकि होगी, जसिमें RBI की वेबसाइट पर वभिन्नि सार्वजनिक रूप से सुलभ क्लाइमेट संबंधी और भू-स्थानिक डेटा स्रोतों की सूची होगी ।
 - दूसरा भाग मानकीकृत डेटासेट वाला एक डेटा पोर्टल होगा, जो चरणबद्ध तरीके से केवल वनियमि संस्थाओं के लयि सुलभ होगा ।

- **NBFC को नरिदेश:** RBI ने [गैर-बैंकगि वत्तितीय कंनयिँ \(NBFC\)](#), [माइक्रोफाइनेंस संसथानों \(MFI\)](#) और [आवास वत्ति कंनयिँ \(HFC\)](#) को 'पूरवानुपालन' संसकृतिका पालन करने और ग्राहक संबन्धी शकियतों के प्रता ईमानदार दृष्टिकोण अपनाने के लयि सख्त दशानरिदेश (Strong Advisory) जारी कयि।
 - पूरवानुपालन संसकृतिके तहत अन्य व्यावसायिकि वचिरों से परेकानूनों, वनियिमों और आंतरकि नीतयिँ के अनुपालन को प्राथमकिता दी जाती है।

नोट: MPC मुद्रास्फीतिलक्ष्य को प्राप्त करने के लयि आवश्यक नीतगित रेपो दर नरिधारति करती है जबकि अन्य नरिणय RBI द्वारा लयि जाते हैं।

- **UPI लाइट एक नया पेमेंट सॉल्यूशन है, जो कम मूल्य के लेनदेन को संसाधति करने के लयि वशिवसनीय एनपीसीआई कॉमन लाइब्रेरी (CL) एप्लिकेशन का लाभ उठाता है।**
- **UPI लाइट वॉलेट एक डिजिटल वॉलेट है, जसिमें आप ऑनलाइन लेनदेन करने के लयि अपने बैंक खाते से पैसा डालते हैं।**

मौदरकि नीतिसमतिकि 51 वीं बैठक में NBFC पर RBI का रुख क्या है?

- **कसिी भी कीमत पर वकिस का दृष्टिकोण (Growth at Any Cost Approach):** RBI गवरनर ने कुछ NBFC के बीच प्रचलति "कसिी भी कीमत पर वकिस" की मानसकिता के संदर्भ में चतिा व्यक्त की, जो सतत् व्यावसायिकि प्रथाओं और मज़बूत जोखमि प्रबंधन ढाँचे की अनदेखी करते हैं।
- **पारशिरमकि प्रथाओं की समीक्षा:** RBI ने NBFC को नरिदेश दयिा है, कविे अपने कर्मचारी पारशिरमकि की संरचना का, वशेष रूप से अल्पकालिकि प्रदर्शन लक्ष्यों से संबन्धति बोनस और प्रोत्साहनों के संबन्ध में, पुनर्मूल्यांकन करें।
 - RBI को चतिा है कि इस प्रकार की प्रथाओं से जोखमिपूर्ण या असंवहनीय व्यवहार को बढ़ावा मलि सकता है, जो केवल तात्कालिकि परिणामों पर केंद्रति है।
- **सूदखोरी प्रथाएँ:** NBFC द्वारा उच्च ब्याज दर वसूलने तथा अनुचित रूप से उच्च प्रसंसकरण शुलक और जुरमाना लगाने के बारे में चतिाएँ व्यक्त की गई हैं।
- **वकिस लक्ष्यों का प्रभाव:** RBI गवरनर ने इस बात पर प्रकाश डाला कि आक्रामक वकिस लक्ष्यों के कारण खुदरा ऋण वृद्धि हो सकती है, जो वास्तवकि मांग के अनुरूप नहीं होगी।
 - इससे संभावति रूप से उच्च ऋण के बढ़ने की संभावना है, जसिसे वत्तितीय स्थरिता को संकट हो सकता है।
- **नविशकों का दबाव:** MFI और HFC समेत कुछ NBFC, इक्वटी पर अत्यधिक रटिरन (ROE) प्राप्त करने के लयि नविशकों के दबाव से परेरति हैं।
 - RBI ने NBFC से सतत् कारोबारी लक्ष्य अपनाने का आग्रह कयिा और कहा कविे अल्पकालिकि लाभ के लयि दीर्घकालिकि स्थरिता से समझौता न करें।

गैर-बैंकगि वत्तितीय कंनयिँ (NBFC) क्या हैं?

- **NBFC:** एक गैर-बैंकगि वत्तितीय कंनयिँ (NBFC) को एक ऐसी कंनयिँ के रूप में परिभाषति कयिा जाता है, जो [कंनयिँ अधनियिम, 1956](#) के अधीन कार्य करती है, जो मुख्य रूप से ऋण और अग्रमि प्रदान करने, शेयर, बॉन्ड और डिबिचर जैसी [वत्तितीय प्रतभितयिँ को](#) प्राप्त करने के साथ-साथ पटटे और करिया-खरीद लेनदेन में संलग्न है।
 - हालाँकि, NBFC में वे संस्थाएँ शामिल नहीं हैं जनिका मुख्य व्यवसाय कृषि, औद्योगिकि गतविधियिँ, वस्तुओं के क्रय या वकिरय (प्रतभितयिँ को छोड़कर), सेवाएँ प्रदान करना, या [अचल संपत्ति से](#) संबन्धति है।
- **वर्गीकरण हेतु मानदंड:** NBFC को अपने मुख्य व्यवसाय के रूप में वत्तितीय गतविधियिँ का संचालन करना चाहयि। इसका अरथ यह है कि इसकी कुल संपत्ति का 50% से अधिकि भाग वत्तितीय परसिंपत्तयिँ में होना चाहयि, और इसी प्रकार, वत्तितीय परसिंपत्तयिँ से आय इसकी सकल आय के 50% से अधिकि होनी चाहयि।
 - [इस वर्गीकरण मानदंड को प्रायः 50-50 परीक्षण](#) के रूप में संदर्भति कयिा जाता है।
- **बैंकों और NBFC के बीच अंतर:** यद्यपि NBFC बैंकों के समान कार्य करते हैं, फरि भी इनमें वभिन्नि अंतर मौजूद हैं।
 - NBFC मांग जमा स्वीकार नहीं कर सकते।
 - NBFC भुगतान एवं नपिटान प्रणाली का हसिसा नहीं है और ये स्वयं पर चेक जारी नहीं कर सकते हैं।
 - बैंकों के वपिरीत, NBFC के जमाकर्त्ताओं को [डिपिँजिटि इंशयोरेंस एंड करेडिटि गारंटी कॉरपोरेशन](#) की जमा बीमा सुवधिा उपलब्ध नहीं है।
- **NBFC के लयि पंजीकरण आवश्यकताएँ:** RBI अधनियिम, 1934 के तहत, प्रत्येक NBFC के लयि अपना परिचालन शुरू करने से पहले RBI से पंजीकरण प्रमाणपत्र प्राप्त करना अनविर्य है।
 - इसके अतरिकित पंजीकरण के लयि अरहता प्राप्त करने हेतु NBFC को न्यूनतम 25 लाख रुपए (या अपरैल 1999 से 2 करोड रुपए) का शुद्ध स्वामतिव नधिा (NOF) बनाए रखना होगा।
- **पंजीकरण से छूट:** NBFC की कुछ श्रेणयिँ को RBI के साथ पंजीकरण से छूट दी गई है क्यौंकि ये अन्य प्राधिकरणों द्वारा वनियिमति हैं। उदाहरणार्थ,
 - [वेंचर केपटिल फंड:](#) भारतीय प्रतभिता एवं वनियिमि बोर्ड (SEBI) द्वारा वनियिमति।
 - [बीमा कंनयिँ:](#) बीमा वनियिमिक एवं वकिस प्राधिकरण (IRDA) द्वारा वनियिमति।

- आवास वित्त कम्पनियों: राष्ट्रीय आवास बैंक (NHB) द्वारा वनियमिति।
- NBFC में हालिया रुझान: वित्त वर्ष 24 में, NBFC की प्रबंधन के अधीन संपत्ति (AUM) 18% बढ़कर 47 ट्रिलियन रुपए हो गई, जबकि जून 2024 तक NPA अनुपात 2.6% रहा।
 - यह प्रतविरष 18% की दर से बढ़ रहा है।

मौद्रिक नीति समिति क्या है?

//



मौद्रिक नीति समिति

Monetary Policy Committee

मौद्रिक नीति समिति

- ★ **प्राधिकरण:**
 - ★ भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के तहत मौद्रिक नीति के निर्माण हेतु अधिकृत है।
- ★ **उद्देश्य:**
 - ★ मूल्य स्थिरता और स्थिर विदेशी मुद्रा मूल्यों को सुनिश्चित करने के लिये मुद्रास्फीति या ब्याज दरों को समायोजित करना।

मौद्रिक नीति समिति (MPC)

- ★ **कानूनी ढाँचा:**
 - ★ संशोधित आरबीआई अधिनियम, 1934 की धारा 45ZB के तहत।
 - ❖ केंद्र सरकार को छह सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति (MPC) का गठन करने का अधिकार है।
 - ★ MPC को वर्ष में कम-से-कम चार बार बैठक करनी होती है। MPC के प्रत्येक सदस्य के पास एक वोट होता है, और वोटों की समानता की स्थिति में गवर्नर के पास दूसरा या निर्णायक वोट होता है।

संघटन

- ★ आरबीआई गवर्नर इसके पदेन अध्यक्ष के रूप में।
- ★ मौद्रिक नीति के प्रभारी उप गवर्नर।
- ★ केंद्रीय बोर्ड द्वारा नामित किया जाने वाला बैंक का एक अधिकारी।
- ★ केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किये जाने वाले तीन व्यक्ति।

कार्य

- ★ मौद्रिक नीति समिति रेपो दर निर्धारित करती है।
 - ❖ यह वह दर है, जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को प्रतिभूतियाँ खरीदकर उधार देता है।
 - ❖ यह अर्थव्यवस्था में अन्य सभी ब्याज दरों के लिये एक बेंचमार्क के रूप में कार्य करती है।
- ★ हर छह महीने में एक बार RBI को मुद्रास्फीति के स्रोतों और 6-18 महीनों की अवधि के लिये मुद्रास्फीति के पूर्वानुमान की व्याख्या करने हेतु 'मौद्रिक नीति रिपोर्ट' नामक एक दस्तावेज प्रकाशित करने की आवश्यकता होती है।

नषिकर्ष

RBI की 51 वीं MPC बैठक में रेपो दर को बनाए रखते हुए तटस्थ मौद्रिक नीतिके रुख पर बल दिया गया। इसने NBFC के लिये आक्रामक विकास

